सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी–221002

ऑनलाइन प्रवेश पंजीकरण करने/प्रवेशावेदनपत्र सत्र 2017–2018 को पूरित करने हेतु
महाविद्यालयों/अभ्यर्थियों के लिए दिशा–निर्देश

सामान्य निर्देश :–

1. निम्नलिखित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय की निदर्शिका के नियमों का अनुपालन अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन–पत्र निरस्त हो जायेगा।
2. सभी प्रविष्टियों को भरा जाना अनिवार्य है।
3. आनलाईन प्रवेशावेदनपत्र भरने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद प्रवेशावेदनपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नहीं खुलेगा।
4. महाविद्यालय/प्रवेशार्थी अन्तिम तिथि के पूर्व ही अपना प्रवेशावेदन–पत्र भरा जाना सुनिश्चित करें।
5. प्रवेशार्थी अपने नाम, माता नाम, पिता नाम तथा जन्म तिथि को पूर्वमध्यमा/हाईस्कूल/समकक्ष परीक्षा के प्रमाण–पत्र के अनुसार ही प्रविष्ट/अंकित करें। महाविद्यालयों द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य है।
6. **माता नाम तथा पिता नाम के पूर्व श्री/श्रीमती अथवा अन्य कोई शब्द अंकित न करें। मात्र पूर्वमध्यमा/हाईस्कूल/समकक्ष परीक्षा के प्रमाण–पत्र के अनुसार वास्तविक नाम ही प्रविष्ट करें।**
7. प्रवेशार्थी का रंगीन पासपोर्ट आकार का स्कैन किया गया छायाचित्र (Photograph) JPEG / JPG File Format में, जो 50 KB या इससे कम क्षमता का हो, को अपलोड करना है।
8. प्रवेशावेदन पत्र पर मुद्रित छायाचित्र (Photograph) को प्रमाणित/सत्यापित न करायें।
9. प्रवेशार्थी का स्कैन किया गया हस्ताक्षर JPEG / JPG File Format में, जो 20 KB या इससे कम क्षमता का हो, को अपलोड करना है।

10. प्रवेशावेदन–पत्र भरते समय Submit/सुरक्षित करने के पश्चात स्क्रीन (Screen) पर दिये गये प्रवेश नियंत्रण संख्या को कहीं अंकित कर भविष्य के लिए सुरक्षित कर लें।
11. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश हेतु अलग–अलग कार्यक्रम–विवरण घोषित किया गया है।
12. सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेशार्थ अभ्यर्थी अपने राज्य, जिला, महाविद्यालय नाम एवं विषयों के चयन/प्रविष्टि में विशेष सावधानी बरतें।
13. विषयों का चयन, विश्वविद्यालय की निदर्शिका में वर्णित अर्हता नियमों तथा प्रवेश–संस्था की विषय मान्यता के अनुसार ही करना अनिवार्य है।
14. विश्वविद्यालय परिसर के शास्त्री प्रथम तथा आचार्य प्रथम तथा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया को प्रवेश परीक्षा के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा।
15. **प्रवेश समिति के निर्णयानुसार सम्बद्ध महाविद्यालयों में शास्त्री प्रथम तथा आचार्य प्रथम के आवेदित विषय वर्गों में प्रवेश की अनुमन्यता का निर्धारण, पूर्वोत्तीर्ण अर्हता परीक्षा के प्राप्तांको की मेरिट सूची से होगा।**
16. **शास्त्री प्रथम तथा आचार्य प्रथम में प्रवेशार्थ काउन्सलिंग की तिथियों की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा सूचना पट्ट से हो सकेगी।** इस निमित्त प्रवेशार्थियों को अलग से किसी प्रकार की सूचना नही दी जाएगी। अतः नियमित रूप से विश्वविद्यालय की ऑनलाइन वेबसाइट ssvvonline.in को देख कर सूचनाएं प्राप्त करते रहें।
17. प्रवेश सम्बन्धी कोई भी वाद "उच्चन्यायालय, इलाहाबाद" में ही प्रस्तुत किया जायेगा।

पंजीकरण–शुल्क :–

1. विश्वद्यिालय परिसर में संचालित शास्त्री प्रथम तथा आचार्य प्रथम की प्रवेश–परीक्षा के लिये प्रवेश–पंजीकरण शुल्क रु• 200/– (रु• दो सौ मात्र) को ई–चालान के माध्यम से इलाहाबाद बैंक के किसी भी शाखा में बैंक चार्ज रु0 15/– के साथ जमा किया जाएगा।
2. प्रवेश–पंजीकरण शुल्क का ई–चालान विश्वविद्यालय की ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु वेबसाइट www.ssvvonline.in के **"ऑनलाइन प्रवेश सत्र 2017–18"** विकल्प द्वारा जनित किया जाएगा। पंजीकरण शुल्क, ई–चालान जनित करने की तिथि के अगले कार्यदिवस से चालान जनित करने की अंतिम तिथि के पूर्व इलाहाबाद बैंक के किसी भी शाखा में जमा किया जा सकेगा।

3. ई–चालान जनित करते समय प्रवेशार्थियों द्वारा पूर्वोत्तीर्ण परीक्षा के विवरणों की प्रविष्टि करनी होगी। **अतः प्रवेशार्थी, ई–चालान जनित/मुद्रित करते समय पूर्वोत्तीर्ण परीक्षा एवं जन्मतिथि के विवरण प्रपत्रों को अपने पास रखें।**
4. प्रवेश–पंजीकरण शुल्क का ई–चालान जनित करने के बाद यदि कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो उसका सुधार सम्भव नही है। **अतः प्रवेशार्थी सावधानी पूर्वक दूसरा नवीन एवं शुद्ध ई–चालान जनित करके ही अग्रिम प्रक्रिया पूर्ण करें।**
5. प्रवेश–पंजीकरण शुल्क को इलाहाबाद बैंक में जमा करने के बाद अगली तिथि को वेबसाइट के **"ऑनलाइन प्रवेश सत्र 2017–2018"** लिंक के **"प्रवेश–पंजीकरण हेतु आवेदन करें"** विकल्प द्वारा प्रवेशावेदनपत्र पूर्ण करने तथा उसकी हार्डकापी मुद्रित करने की प्रक्रिया सम्पन्न होगी।
6. ई–चालान की तीन प्रतियां होंगी। एक प्रति बैंक अपने पास सुरक्षित रखेगा तथा दूसरी अभ्यर्थी–प्रति, प्रवेशार्थी अपने पास सुरक्षित रखेगा। विश्वविद्यालय–प्रति को मुद्रित प्रवेशावेदनपत्र के साथ निर्धारित तिथि के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य है।

अन्य आवश्यक निर्देश :–

1. विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेशार्थ छात्रों को **शास्त्री प्रथम** तथा **आचार्य प्रथम** के प्रवेशावेदनपत्र के हार्डकापी को संलग्नकों सहित विश्वविद्यालय के **छात्रकल्याण संकाय के कार्यालय** में निर्धारित तिथि के अन्तर्गत सीधे जमा किया जाएगा अथवा पंजीकृत डाक से **"छात्रकल्याणसंकायाध्यक्ष, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी–221002– उ.प्र.(भारत)"** के पते पर इस प्रकार भेजा जाय कि वह निर्धारित तिथि के अन्तर्गत प्राप्त हो जाय। निर्धारित तिथि व्यतीत हो जाने पर प्रवेशावेदन पत्र स्वीकार नही किए जाएंगें।
2. विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेशार्थ छात्रों को **शास्त्री द्वितीय, शास्त्री तृतीय** तथा **आचार्य द्वितीय** के प्रवेशावेदनपत्र के हार्डकापी को संलग्नकों सहित विश्वविद्यालय के **सम्बद्ध विभागों** के कार्यालय में निर्धारित तिथि के अन्तर्गत जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि व्यतीत हो जाने पर प्रवेशावेदन पत्र स्वीकार नही किए जाएंगें।
3. अन्य पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवेशार्थियों के लिए परीक्षावेदनपत्रों के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत वैध जाति–प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. पूर्वमध्यमा द्वितीय, उत्तरमध्यमा द्वितीय, शास्त्री द्वितीय, शास्त्री तृतीय तथा आचार्य द्वितीय के प्रवेशार्थी उसी महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अर्ह होंगें जिस महाविद्यालय में

सम्बंधित कक्षा के पूर्व के खण्ड में गत सत्र 2016–2017 में प्रवेशित होकर सम्बंधित परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे। यही स्थिति विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों पर भी लागू होगी।

5. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थल पर पूर्वोत्तीर्ण परीक्षा के विवरण (वर्ष, अनुक्रमांक, प्राप्तांक, पूर्णांक तथा परीक्षा–संस्था का नाम इत्यादि) की प्रविष्टियों के शुद्धता की जांच अवश्य कर लें।
6. छात्र जिस महाविद्यालय में जिस कक्षा के प्रथम खण्ड में प्रवेश लेगा, उसे उसी महाविद्यालय से उस कक्षा के सम्पूर्ण खण्डों की परीक्षा पूर्ण करना अनिवार्य है।
7. पूर्वमध्यमा प्रथम खण्ड के सत्र 2017–2018 में वे ही प्रवेशार्थी प्रवेशित हो सकेंगे जिसने 01.01.2017 को 12 (बारह) वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।
8. प्रथमा में वे ही छात्र प्रवेशित एवं मान्य होंगें जो प्रवेशित कक्षा (प्रथमा) की होने वाली वार्षिक–परीक्षा–वर्ष के जनवरी मास की पहली तारीख को 12 (बारह) वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगें।
9. प्रवेशावेदनपत्र के अपूर्ण होने, अर्हता संदिग्ध होने एवं आवश्यक सूचना प्रविष्ट न होने तथा अपेक्षित सभी प्रमाणपत्रों के संलग्न न होने की स्थिति में प्रवेशावेदनपत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। जिसकी सूचना देना आवश्यक नही होगा।
10. प्रवेशावेदन पत्र के साथ अपेक्षित प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपि राजपत्रित अधिकारी अथवा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, या विधिसम्मत किसी विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष अथवा मान्यता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालय या डिग्री कालेज या इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित कराकर जमा करना अनिवार्य होगा।
11. जो छात्र प्रथम बार प्रविष्ट होंगे उन्हें प्रवेशावेदनपत्र के साथ त्याग प्रमाणपत्र/निष्क्रमण प्रमाण पत्र (माइग्रेशन) को मूल रूप में जमा करना अत्यन्त आवश्यक होगा।